LAY OUT PLAN OF KHASRA NO.50/9, 50/11, 50/14 OF VILLAGE UCHIYARDA AT JODHPUR

SCALE :-1"=50'

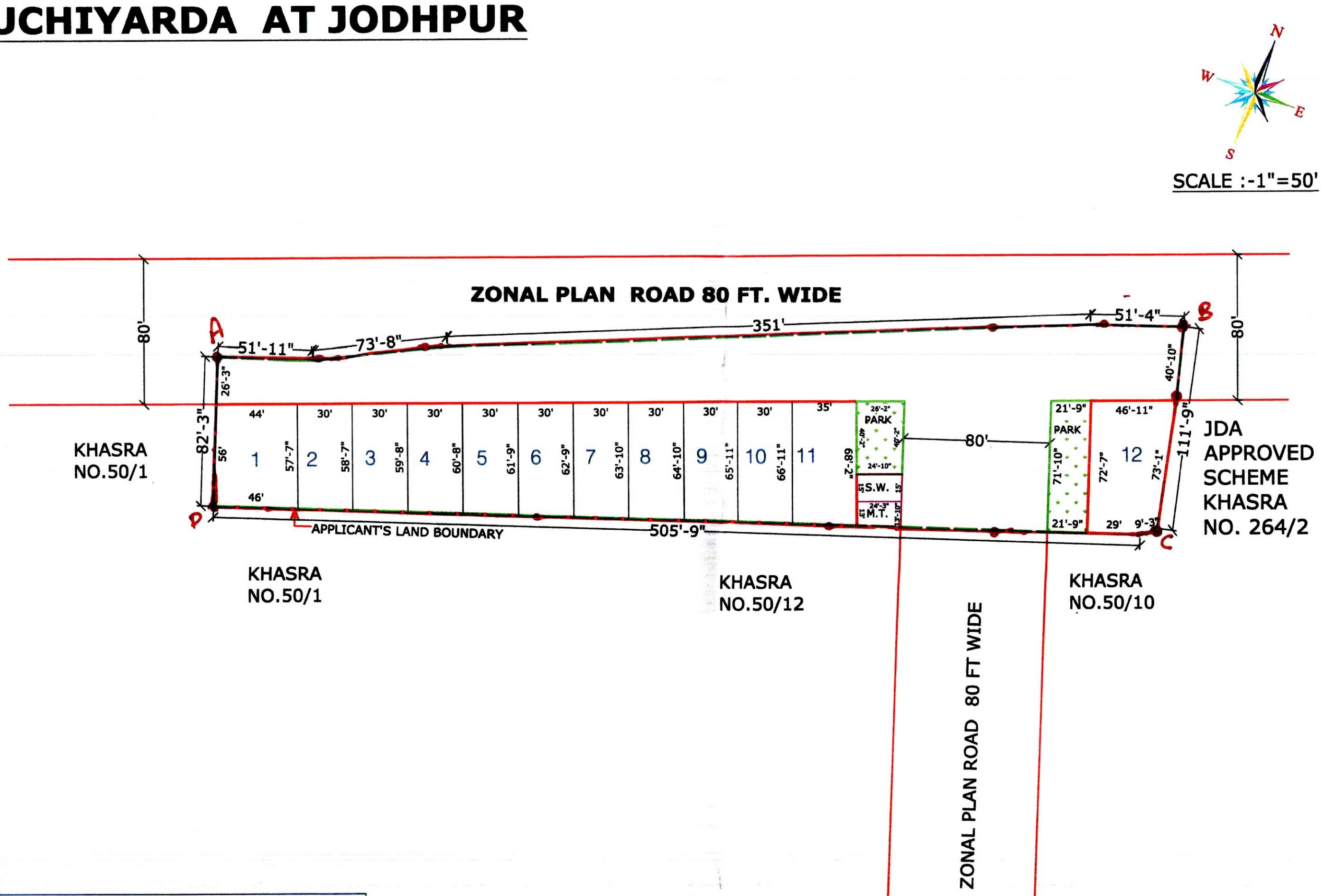

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
PLOT AREA	2758.92	47.95 %
PARK AREA	288.43	05.01 %
M.T.,S.W. AREA	76.74	01.33 %
ROAD AREA	2629.96	45.71 %
TOTAL SCHEME AREA	5754.05	100.00 %
Area in Bigha. = 02 Bigha , 19 Bishwa , 09 Bishwanshi		

KEY PLAN

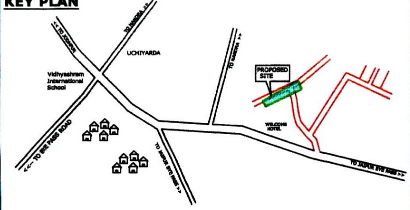

KHASRA MAP
NOT TO SCALE

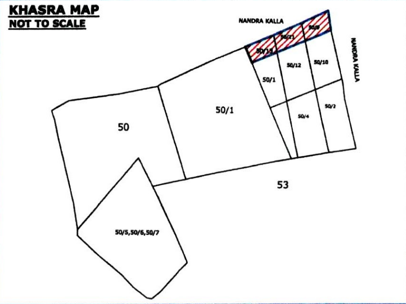

दिनांक 17/7/23 को सुपर इम्पोज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दू A से D मार्क किया गया।

27/12/23

(प्रवीण आशिया)
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

एजेण्डा संख्या 16 :- JDA/Dir(P)/Z-01/ 321 / 16/01/24

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.10.2023	जोन–1	उचियारडा	50/9, 50/11 व 50/14	02.19.09 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री हर्षवर्धन पुत्र श्री करणसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 50/9, 50/11 व 50/14 रकबा 02.19.09 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई पूर्व कमिट्मेंट अनुसार 80 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 80–80 फीट की सडको को योजना मानचित्र में दर्शाया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 6. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 7. योजना का क्षैत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

03/01/2024
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
16/01/24

3/01/24
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर